

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सं. वी-33(13)06/2013-स्था. IV.— क.रा.बी. (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा हरियाणा राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः—

क्रम सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अंतर्गत
1	क.रा.बी. योजना के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष	विनि. 10(1)(क)
2	प्रधान सचिव, श्रम विभाग	उपाध्यक्ष	विनि. 10(1)(ख)
3	श्रम आयुक्त, हरियाणा सरकार	सदस्य	विनि. 10(1)(ग)
4	निदेशक, क.रा.बी. स्वास्थ्य देखरेख, हरियाणा सरकार	पदेन सदस्य	विनि. 10(1)(घ)(i)
5	श्री अश्वंत गुप्ता, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, अड्वान्स माइक्रो डिवाइसिज, प्रा. लि., 21, औद्योगिक क्षेत्र, अंबाला कैंट	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ङ)
6	श्री एन.पी. सिंह, महासचिव, गुरगाँव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, प्रबंधक निदेशक, ओरबिट इंडस्ट्रीज, जी.आई.ए. हाउस, आई डी सी, मैहरोली रोड, गुडगाँव-122001	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
7	श्री पी.के. सलवान, फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, निदेशक एच आर, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लि., 28, औद्योगिक क्षेत्र, एन आई टी, फरीदाबाद	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
8	श्री दीपक जैन (एल यू बी) सी-1101, ए डब्ल्यू एच ओ - सैक्टर 49, सोहना रोड, गुडगाँव, हरियाणा	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
9	श्री वेद प्रकाश सैनी, महासचिव, बी.एम.एस. (हरियाणा), मकान नं. 812, बी-1, रातपुर कॉलोनी, पिन्नाजोर-134102, जिला पंचकुला, हरियाणा	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ड)
10	श्री बेचु गिरी, महासचिव, हरियाणा, राज्य समिति, ए आई टी यू सी, आई/के-109, फावरा सिंह चौक के पास, खट्टक भवन के पीछे, मार्केट सं.1, फरीदाबाद-121001	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
11	श्री तारेश विजयरन, मकान सं. 5/71, गली सं.1, शंकर गार्डन, लाइन पार, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
12	श्री विरेन्द्र शर्मा (बी.एम.एस.) गाँव एव डाकघर बसई, जिला गुडगाँव, हरियाणा	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
13	क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद	सदस्य सचिव	विनि. 10(3)

पी. बी. मणि, अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./158/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018

No. V-33(13)06/2013-E.IV.— In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Haryana State, which shall consist of the following members, namely:

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	Minister in charge of the ESI Scheme.	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Principal Secretary, Department of Labour.	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Labour Commissioner of the Govt. of Haryana.	Member	Reg. 10(1)(c)
4	Director, ESI Health Care, Govt. of Haryana	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5	Shri Ashwant Gupta, Haryana Chamber of Commerce and Industry, Advanced Micro Devices Pvt. Ltd., 21, Industrial Area, Ambala Cantt.	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
6	Shri. N.P. Singh, General Secretary, Gurgaon Industrial Association, Managing Director, Orbit Industries, G.I.A. House, IDC, Mehrauli Road, Gurgaon-122001	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
7	Shri P.K. Salwan, Faridabad Industries Association, Director HR, Whirlpool of India Ltd., 28, Industrial Area, NIT, Faridabad	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8	Sh. Deepak Jain (LUB) C-1101, AWHO – Sector 49, Sohna Road, Gurgaon, Haryana	Employer's Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9	Shri Ved Parakash Saini, General Secretary, B.M.S.(Haryana), H. No. 812, B-1, Rattpur Colony, Pinjore-134102, District Panchkula, Haryana.	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10	Shri Bechu Giri, General Secretary, Haryana, State Committee AITUC, I/K-109, Near Fawra Singh Chowk, Behind Khattak Bhawan, Market No.1, Faridabad-121001	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11	Sh. Taresh Vijayan, House No. 5/71, Gali No. 1, Shankar Garden, Line Paar, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana.	Employee's Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
12	Sh. Virender Sharma (BMS) V& PO Basai, Distt. Gurgaon, Haryana.	Employee's Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
13	Regional Director, ESI Corporation, Regional Office, Faridabad	Member Secretary	Regulation 10(3)

P. B. MANI, Addl. Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./158/18]